न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर

एफ.एस. प्रकरण संख्या– 03 / 2017

प्रार्थी :–
सरकार

बनाम

अप्रार्थी :–

1. श्री किशन गोपाल गौड पुत्र श्री भयामलाल गौड उम्र 43 वर्ष **(एफबीओ / मालिक)**
फर्म–मैसर्स– गणेश किराणा स्टोर, उदलियावास रोड, खारिया मीठापुर, तह0 बिलाडा जिला जोधपुर।
निवासी– नया बास, हास्पीटल के पिछे, खारिया मीठापुर तह0 बिलाडा जिला जोधपुर।
2. श्री गणपत राज बोहरा पुत्र श्री चम्पालाल बोहरा **(भागीदार / निर्माता फर्म)**
मैसर्स– वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली।
निवासीः–महाजनो का बास, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली।
3. श्रीमति कमलेश बोहरा पत्नि श्री गणपत राज बोहरा **(भागीदार / निर्माता फर्म)**
मैसर्स– वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली।
निवासीः–महाजनो का बास, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली
4. श्रीमति सुनिता बोहरा पुत्र श्री अजय बोहरा **(भागीदार / निर्माता फर्म)**
मैसर्स– वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली।
निवासीः–महाजनो का बास, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली
5. श्रीमति मन्जु बोहरा पुत्र श्री अमित बोहरा **(भागीदार / निर्माता फर्म)**
मैसर्स– वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली ।
निवासीः–महाजनो का बास, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली
6. फर्म–मैसर्स– वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली ।**(निर्माता फर्म)**

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एंव धारा 52 के तहत्।

–:निर्णय :– **दिनांक :–30.05.2018**

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है जिसमें कम संख्या 74 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 10.08.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर आवंटित कार्यक्षेत्र मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर दिया है जिसमें क्रम संख्या 74 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 09.08.2011 के द्वारा मेरे नाम मे त्रुटि सुधार कर अधिसुचित किया गया जिसमें क्रम संख्या 74 पर मेरा नाम अंकित है ।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार समस्त जिला जोधपुर मेरा कार्य क्षैत्र है । (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

दिनांक 05.06.2017 को 06:00 पी.एम. मैं रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग, मैसर्स–गणेश किराणा स्टोर, उदलियावास रोड, खारिया मीठापुर, तह0 बिलाडा जिला

जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर विक्रेता की हैसियत से श्री किशन गोपाल गौड पुत्र श्री भयामलाल गौड उम्र 43 वर्ष निवासी– नया बास, हास्पीटल के पिछे, खारिया मीठापुर तह0 बिलाडा जिला जोधपुर । उपस्थित मिले एवं आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु किराणा सामान, खाद्य तेल आदी सामान भण्डारण किये हुऐ पाये गये । मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होने नही होना जाहिर किया एंव स्वंय का पहचान पत्र पेश किया उक्त की प्रमाणित छायाप्रति सलग्ंन परिवाद है।

दुकान का निरीक्षण करने रैक्स पर रिफा0 सोयाबिन तेल(त्रिवेणी ब्राण्ड) 500एमएल की 20 पेट बोटल्स आम जनता हेतु विक्रय था। इसका निरीक्षण करने पर अमानक स्तर/मिथ्याछाप का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिये रूबरू गवाह श्री चन्द्रशेखर पारीक पुत्र श्री राधेश्याम पारीक निवासी– ब्राहमणो का बास, खारिया मीठापुर, जिला जोधपुर एंव मेरे साथ गये श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये जोन–जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ रिफा0 सोयाबिन तेल(त्रिवेणी ब्राण्ड)500एमएल की 4 पेट बोटल्स एक ही बैच एंव निर्माण तिथी की वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। जो सलग्न है।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 180/– नगद देकर रिफा0 सोयाबिन तेल(त्रिवेणी ब्राण्ड) को 500एमएल की 4 पेट बोटल्स वास्ते खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

खरीदशुदा रिफा0 सोयाबिन तेल(त्रिवेणी ब्राण्ड) 500एमएल की 4 पेट बोटल्स हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1523 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई । मेने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये । चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया । एंव चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1523 हस्ताक्षर युक्त डॉ. सुरेन्द्र सिंह चौधरी, अभिहित अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना एम–1523 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया । उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया । फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा मैंरे स्वयं के द्वारा दिनांक 06.06.2017 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है ।

एम–1523 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 05.06.2017 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 05.06.2017 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र कमांक 19105–06 दिनांक 21.06.2017 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. एलएस/552/एक्ट/2017/551 दिनांक 14.06.2017 खाद्य पदार्थ विक्रेता का जरिये रजि0 डाक सुचनार्थ श्री किशन गोपाल गौड पुत्र श्री भयामलाल गौड उम्र 43 वर्ष मैसर्स– गणेश किराणा स्टोर, उदलियावास रोड, खारिया मीठापुर, तह0 बिलाडा जिला जोधपुर को प्रेषित की गयी एंव एक मूल प्रति मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफा0 सोयाबिन तेल(त्रिवेणी ब्राण्ड) का नमूना बोटल पर Best before Given in small letters and Nutritional information Not given and Permitted anti oxidant given on the label of sample but the specific

name or recognized international numerical identification of Anti oxidant used in the product not mentioned on the label of sample. And FSSAI Licence No. Not given. And Statement Zero cholesterol, Micro Refinend soyabean oil given on the label of sample. Contravention of Regulation No 2.2.1(7),2.2.2(3),2.2.2(5),2.2.2(10) and 2.4.2(1) of Food Safety and Standards(Packaging and Labelling) Regulations,2011 होने के कारण मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया है जो एफ0 एस0 एस0 एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन है, इनके द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया ।

अप्रार्थीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) रिफा0 सोयाबिन तेल(त्रिवेणी ब्राण्ड) का निर्माण एव विक्रय कर एफ. एस. एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) उल्लघंन किया है जो की धारा 52 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री कमलेश बोहरा पुत्र गणपतराज बोहरा भागीदार मैसर्स वीतराग इण्डस्ट्रीज झूंठा निवासी महाजनों का बास, झूंठा एवं समस्त भागीदारों की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त परिवाद में राज्य सरकार द्वारा कराई गई लैब जाँच की रिपोर्ट के अनुसार हमारा उत्पादन की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मानक स्तर पर पाई गई है। किन्तु ऊपर के पैंकिग आवरण में हुई गलती के कारण उक्त नमूना Misbranded में दोषी पाया गया है जो एक मानवीय त्रुटि है। जो कि फैक्टरी में कार्यरत किसी मजदूर की गलती से हुई है।

चूँकि उक्त उत्पाद हमारी फर्म मैसर्स वीतराग इण्डस्ट्रीज का है और मै उक्त फर्म का भागीदार हूँ। अतः फैक्टरी मजदूर से हुई इस गलती के लिए मै इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर लेते हुए, व्यक्तिगत रूप से क्षमाप्रार्थी हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त परिवाद में न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करते हुए परिवाद का निस्तारण करावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन किया अप्रार्थी संख्या एक श्री किशनगोपाल गौड उक्त परिवाद का लिखित में जवाब देते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या एक फुटकर व्यापारी है व बिल सहित पैंकिग माल खरीदा था तथा उसका रख–रखाव बराबर रखा था। अप्रार्थी संख्या एक एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) की धारा 52 का उल्लंघन नहीं किया है। अतः अप्रार्थी संख्या एक को धारा 52 के तहत बरी किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 से 6 तक ने लिखित में यह कथन किया कि द पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री, जोधपुर राजस्थान ने अपनी रिपोर्ट 14.06.2017 को जो पेश की है। वह मात्र मिथ्याछाप की पेश की है।

इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन हुआ है। साथ ही धारा 3(1)(zf)(C)(i) का भी उल्लघंन पाया जाता है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 पर शास्ती राशि 20,000/– अक्षरे बीस हजार एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 6 जो उक्त फर्म के सहभागीदार व निर्माता होने के कारण धारा 52 के तहत रूपये 60,000/– अक्षरे रूपये साठ हजार शास्ती आरोपित की जाती है। अधिनियम की धारा 52)(i) में यह आदेश देता हूँ की भविष्य में विधिक उल्लंघन ना हो। इसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 से 6 अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 शास्ती की राशि एक माह के भीतर राज्यकोष में निर्धारित मद में जमा करवाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम–प्रथम/2018/ दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।

2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री किशन गोपाल गौड पुत्र श्री भयामलाल गौड उम्र 43 वर्ष **(एफबीओ/मालिक)**
   फर्म–मैसर्स– गणेश किराणा स्टोर, उदलियावास रोड, खारिया मीठापुर, तह0 बिलाडा जिला जोधपुर।
   निवासी– नया बास, हास्पीटल के पिछे, खारिया मीठापुर तह0 बिलाडा जिला जोधपुर।
4. श्री गणपत राज बोहरा पुत्र श्री चम्पालाल बोहरा **(भागीदार/निर्माता फर्म)**
   मैसर्स– वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली।
   निवासीः–महाजनो का बास, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली।
5. श्रीमति कमलेश बोहरा पत्नि श्री गणपत राज बोहरा **(भागीदार/निर्माता फर्म)**
   मैसर्स– वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली।
   निवासीः–महाजनो का बास, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली
6. श्रीमति सुनिता बोहरा पुत्र श्री अजय बोहरा **(भागीदार/निर्माता फर्म)**
   मैसर्स– वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली।
   निवासीः–महाजनो का बास, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली
7. श्रीमति मन्जु बोहरा पुत्र श्री अमित बोहरा **(भागीदार/निर्माता फर्म)**
   मैसर्स– वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली ।
   निवासीः–महाजनो का बास, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली
8. फर्म–मैसर्स– वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली ।**(निर्माता फर्म)**

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।